रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082026-275274
CG-DL-E-07082026-275274

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4187]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948
No. 4187]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

का.आ. 4363(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा, विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, *2025* (2025 का 36) की धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (छ) और (ढ), धारा 20 की उपधारा (2), तथा धारा 24 के खंड (ङ) तथा धारा 26 की उपधारा (1) के साथ पढ़े जाने वाली धारा 33 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को या उसके पश्चात् बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आपत्तियाँ अथवा सुझाव, यदि कोई हों, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निर्दिष्ट अवधि के भीतर श्रीमती दीक्षा सुप्याल बिष्ट, सहायक आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, भूतल, कर्तव्य भवन–3, नई दिल्ली – 110001 को संबोधित किए जा सकते हैं अथवा suggestion-vbgramg@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं।

उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियमावली

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों को विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) योजना के लेखापरीक्षा नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों के प्रयोजनार्थ, योजनाओं की लेखापरीक्षा में सामाजिक अंकेक्षण को भी सम्मिलित किया जाएगा।

(3) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ – इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "2005 का अधिनियम" से अभिप्राय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 है।

(ख) "अधिनियम" से अभिप्राय विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 है।

(ग) "मामला" से अभिप्राय सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के माध्यम से पहचानी गई किसी भी प्रकार की अनियमितता, विचलन, चूक, उल्लंघन, गबन, अनुपालनहीनता, शिकायत अथवा कमी से है, साथ ही जिनमें सुधारात्मक, दंडात्मक या वसूली-संबंधी कार्रवाई अपेक्षित है।

(घ) "निर्धारित डिजिटल पोर्टल" से अभिप्राय केंद्र सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, द्वारा उपलब्ध कराया गया वह आधिकारिक वेब-आधारित मंच या एकीकृत डिजिटल प्रणाली है, जिसका उद्देश्य इन नियमों के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों, कार्रवाई प्रतिवेदनों, वसूली, उच्च स्तर पर प्रेषण, सार्वजनिक प्रकटीकरण तथा इन नियमों के अधीन संबंधित अभिलेखों के रखरखाव, प्रकटीकरण, प्रबंधन, अनुश्रवण और निगरानी करना है।

(ङ) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्राय राज्य सरकार का वह अधिकारी है जिसे अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत जिले में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नामित किया गया है।

(च) "मध्यवर्ती स्तर" से अभिप्राय ग्राम और जिला स्तरों के बीच का स्तर है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (ज) में निर्दिष्ट है।

(छ) "कार्यक्रम अधिकारी" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त खण्ड स्तर का अधिकारी है।

(ज) "राज्य परिषद" से अभिप्राय राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद है, जो इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित की गई है।

(झ) "सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा" से अभिप्राय ग्राम सभा की वह विशेष बैठक है जो इन नियमों के अधीन सामाजिक अंकेक्षण करने के उद्देश्य से बुलाई जाती है, जिसमें अभिलेखों का सत्यापन, निष्कर्षों पर सार्वजनिक चर्चा, गवाहियों की सुनवाई और की गई कार्रवाई के प्रतिवेदनों की समीक्षा सम्मिलित होती है।

(ञ) "सामाजिक अंकेक्षण इकाई" से अभिप्राय वह स्वतंत्र संस्थागत तंत्र है जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण के सुगमीकरण, समन्वय तथा पर्यवेक्षण करने के लिए निर्धारित या स्थापित किया जाता है, जिसमें इसका शासी निकाय, निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी और राज्य, जिला, खण्ड तथा ग्राम स्तर पर कार्यरत संसाधन व्यक्ति सम्मिलित हैं, जैसे – राज्य संसाधन व्यक्ति (एसआरपी), जिला संसाधन व्यक्ति (डीआरपी), खण्ड संसाधन व्यक्ति (बीआरपी) और ग्राम संसाधन व्यक्ति (वीआरपी)।

(ट) "कार्रवाई प्रतिवेदन" या "ए टी आर " से अभिप्राय वह लिखित, डिजिटल और सत्यापन योग्य प्रतिवेदन है जिसे कार्यक्रम अधिकारी या जिला कार्यक्रम समन्वयक, द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर की गई या प्रस्तावित सुधारात्मक, दंडात्मक, वसूली-संबंधी या प्रशासनिक कार्रवाइयों का ब्यौरा होता है।

(ठ) "पर्यवेक्षक" से अभिप्राय जिला कार्यक्रम समन्वयक या उनके द्वारा नामित उपयुक्त पद के अधिकारी से है, जो सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में सम्मिलित होकर इस कार्यवाही का सुचारु, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न होना सुनिश्चित करता है।

3. खातों की लेखापरीक्षा: (1) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले की योजना के खातों तथा योजना के अंतर्गत किए गए सभी व्ययों की वार्षिक लेखापरीक्षा निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा या समकक्ष प्राधिकारी अथवा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिमानतः सूचीबद्ध सनदी लेखाकार द्वारा की जाएगी।

(2) निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा या समकक्ष प्राधिकारी अथवा सनदी लेखाकार, यथास्थिति, योजना के लेखों सहित अंकेक्षण प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रत्येक राज्य सरकार की योजनाओं के खातों, प्रमाणित अंकेक्षण प्रतिवेदन सहित, राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा केंद्र सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ऐसे अंकेक्षण प्रतिवेदनों के प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उनके द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, योजनाओं के खातों की ऐसे अंतरालों पर अंकेक्षण करने का अधिकार होगा जैसा उसे उपयुक्त प्रतीत हो।

ऐसे अंकेक्षण का क्षेत्र एवं विस्तार, जिसमें अनुपूरक अंकेक्षण, अनुपालन अंकेक्षण, कार्य-निष्पादन अंकेक्षण तथा सूचना प्रौद्योगिकी अंकेक्षण सम्मिलित हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

4. सामाजिक **अंकेक्षण** इन योजनाओं की लेखापरीक्षा का हिस्सा होगा: (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत लिए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम छह माह में एक बार, इन नियमों में निर्दिष्ट तरीके से आयोजित करेगी।

(2) वित्तीय वर्ष के दौरान संपन्न ऐसी सामाजिक अंकेक्षणों के निष्कर्षों का सारांश, राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा।

5. सामाजिक **अंकेक्षण का सुगमीकरण**: (1) राज्य सरकार, अधिनियम के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन (जिसे इसके पश्चात सामाजिक अंकेक्षण इकाई कहा जाएगा) की पहचान करेगी या स्थापना करेगी ताकि ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के संचालन में सहायता प्रदान कर सके।

परंतु यह कि इसके अतिरिक्त , 2005 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोई भी सामाजिक अंकेक्षण इकाई को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ जारी रख सकती है।

परंतु **यह** भी है कि, ऐसी सभी विद्यमान सामाजिक अंकेक्षण इकाइयाँ, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर, इन नियमों, अधिनियम और केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देश के अंतर्गत निर्धारित संस्थागत, प्रक्रियात्मक, डिजिटल और प्रतिवेदन संबंधी अपेक्षाओं का पूर्ण रूप से अनुपालन करेगी।

(2) सामाजिक अंकेक्षण इकाई निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी, नामत: —

(क) ग्राम सभाओं की क्षमता का निर्माण करना ताकि वे सामाजिक अंकेक्षण कर सकें; और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, प्राथमिक हितधारकों एवं लोगों के अधिकारों के लिए कार्य करने का ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले अन्य नागरिक समाज संगठनों से संसाधन व्यक्तियों की पहचान करना, उन्हें प्रशिक्षित करना और ग्राम, ब्लॉक, खंड तथा राज्य स्तर पर नियुक्त करना।

सामाजिक अंकेक्षण इकाई के लिए न्यूनतम कार्मिक मानदंड, जिनमें शैक्षिक एवं अनुभव संबंधी योग्यताएँ, चयन की प्रक्रिया तथा कार्यकाल शामिल हैं, अंकेक्षण मानकों और योजना दिशा-निर्देशों के समग्र दायरे के अनुरूप होंगे।

(ख) स्थानीय व्यक्तियों की सामाजिक अंकेक्षक के रूप में पहचान एवं प्रशिक्षण करना; ; तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सामाजिक अंकेक्षण के संचालन हेतु ग्राम पंचायत के बाहर के व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षित सामाजिक अंकेक्षक दलों का गठन करना, बशर्ते ग्राम स्तर के सामाजिक अंकेक्षकों में कम-से-कम 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों से हों। ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उन्हें मानदेय दिया जाएगा, जिसकी दर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कुशल श्रमिकों को देय मजदूरी से कम नहीं होगी।

(ग) सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के लिए सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रारूप, संसाधन सामग्री, दिशा-निर्देश तथा मार्गदर्शिकाएँ तैयार करना।

(घ) श्रमिकों में उनके अधिकारों और अधिनियम के अंतर्गत विधिक गारंटियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।

(ङ) प्राथमिक हितधारकों और कार्य स्थलों के साथ अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया को सुगम बनाना।
(च) सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं के सुचारू संचालन, निष्कर्षों के वाचन तथा विचार-विमर्श के उपरांत निर्णयों के अंतिमकरण को सुगम बनाना;

(छ) सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों तथा कार्रवाई प्रतिवेदनों को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराना।

(3) **सामाजिक अंकेक्षण इकाई का शासी निकाय** — प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण इकाई का नेतृत्व एक शासी निकाय द्वारा किया जाएगा, जो समय-समय पर इकाई के कार्य और कार्य-निष्पादन की देखरेख करने तथा आवश्यकता पड़ने पर इकाई को रणनीतिक मार्गदर्शन, परामर्श और दिशा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) **शासी निकाय की संरचना** — शासी निकाय में न्यूनतम रूप से निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामत: —

(क) राज्य के प्रधान महालेखाकार इसके अध्यक्ष होंगे;

(ख) ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज के प्रधान सचिव;

(ग) सामाजिक अंकेक्षण इकाई के निदेशक;

(घ) नागरिक समाज संगठनों, शैक्षणिक या प्रशिक्षण संस्थानों के पाँच प्रतिनिधि होंगे जिनके पास पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी से संबंधित कार्यों का दीर्घकालिक अनुभव हो और इनमें से कम से कम दो महिलाएँ होंगी;

(ङ) ऐसे अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य, जो उन विभागों से हों जो अपने कार्यक्रमों में सामाजिक अंकेक्षण कर रहे हों, जैसा आवश्यक समझा जाए।

(5) सामाजिक अंकेक्षण इकाई का निदेशक – सामाजिक अंकेक्षण इकाई के निदेशक का चयन, नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाएंगी।

(6) संयोजक – सामाजिक अंकेक्षण इकाई का निदेशक शासी निकाय के संयोजक के रूप में कार्य करेगा ।

(7) स्वतंत्रता के लिए प्रावधान – कार्यान्वयन एजेंसियों से सामाजिक अंकेक्षण इकाई की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण विकास या पंचायती राज के प्रधान सचिव शासी निकाय की अध्यक्षता नहीं करेंगे।

6. सामाजिक **अंकेक्षण** की पूर्वपेक्षाएँ - (1) सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होगी जो योजना की कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रक्रिया से स्वतंत्र होगी।

(2) कार्यान्वयन एजेंसी किसी भी समय सामाजिक अंकेक्षण के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, योजना की कार्यान्वयन एजेंसी आवश्यक जानकारी कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराएगी, ताकि वह उसे सामाजिक अंकेक्षण इकाई को सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ होने की तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व उपलब्ध कराया जा सके।

(4) किसी पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण के संचालन में सहायता हेतुतैनात किए गए संसाधन व्यक्ति उसी पंचायत के निवासी नहीं होंगे।

7. **सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया -** (1) सामाजिक अंकेक्षण इकाई, वर्ष के प्रारंभ में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करेगी, जिसके अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक छह माह में कम-से-कम एक सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा, तथा उक्त कैलेंडर की प्रति आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों को प्रेषित की जाएगी।

(2) **सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए सत्यापन:** ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण को सुगम बनाने के लिए, सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा तैनात किए गए संसाधन व्यक्ति, प्राथमिक हितधारकों के साथ मिलकर, निम्नलिखित का सत्यापन करेंगे—

(i) मस्टर रोल, निर्दिष्ट अवधि के दौरान की गई प्रविष्टियाँ और किए गए भुगतान, जिसमें उन श्रमिकों से सत्यापन भी सम्मिलित होगा जिनके नाम मस्टर रोल में अंकित हैं;

(ii) कार्य स्थल तथा अभिलेखों के संदर्भ में कार्य की मात्रा और साथ ही गुणवत्ता का मूल्यांकन

(iii) रोकड़ बही, बैंक विवरणियों तथा अन्य वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण ताकि वित्तीय प्रतिवेदन की शुद्धता और विश्वसनीयता का सत्यापन किया जा सके;

(iv) सामग्री की खरीद से संबंधित इनवॉइस, बिल, वाउचर या अन्य संबंधित अभिलेखों की जाँच करना, ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि ऐसी खरीद प्राकलन के अनुसार, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और मितव्ययी थी;

(v) योजना निधियों से कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी अन्य किसी भी भुगतान ।

(3) जन भागीदारी और ग्राम सभा- पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, श्रमिकों और ग्रामीण समुदाय को संसाधन व्यक्तियों के साथ-साथ कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने वाली ग्राम सभा के संबंध में सूचित किया जाएगा।

(4) सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के संचालन हेतु एक ग्राम सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें सत्यापन कार्य के निष्कर्षों पर चर्चा की जाएगी और पारदर्शिता एवं जवाबदेही के अनुपालन, श्रमिकों की गारंटियों की पूर्तितथा निधियों के समुचित उपयोग की समीक्षा की जाएगी।

(5) अधिनियम के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल पंचायतों के सभी निर्वाचित सदस्य और कर्मचारी ग्राम सभा में उपस्थित रहेंगे तथा प्रश्नों का उत्तर देंगे।

(6) ग्राम सभा सभी ग्रामीणों को कार्यान्वयन से संबंधित सभी व्यक्तियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने तथा उनके प्रश्नों के उत्तर पाने का अवसर प्रदान करेगी। यह ऐसे किसी भी व्यक्ति को भी एक मंच प्रदान करेगी जिसके पास योगदान देने और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक जानकारी हो।

(7) जिला कार्यक्रम समन्वयक एक पर्यवेक्षक के रूप में ग्राम सभा की बैठक में भाग लेंगे या इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्तर के किसी अधिकारी को नामित करेंगे, जिससे ग्राम सभा की कार्यवाही का सुचारु एवं पारदर्शी संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

(8) सामाजिक अंकेक्षण इकाई सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन स्थानीय भाषा में तैयार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उसे ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाए। सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों और उससे संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदनों को डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जाएगा तथा निर्दिष्ट पोर्टल पर खोज योग्य, मशीन पठनीय और डाउनलोड योग्य प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

(9) सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों के अनुसरण में प्रस्तुत की गई सभी कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) को उनकी पर्याप्तता, पूर्णता और संतोषजनकता की समीक्षा के लिए मध्यवर्ती-स्तर पर आयोजित जन सुनवाई के समक्ष रखा जाएगा, जो कम-से-कम प्रत्येक माह में एक बार आयोजित की जाएगी।

(10) पिछले सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों से संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन तथा मध्यवर्ती-स्तर की जन सुनवाई के दौरान दर्ज की गई टिप्पणियों, यदि कोई हो, प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की बैठक के प्रारंभ में पढ़कर सुनाई जाएँगीऔर उन पर चर्चा की जाएगी।

(11) सामाजिक अंकेक्षण के संचालन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा।

8. सामाजिक अंकेक्षणके संबंध में कुछ व्यक्तियों का दायित्व- (1) कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों की सभी आवश्यक जानकारी और अभिलेख जैसे— ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, कार्य रजिस्टर, ग्राम सभा का प्रस्ताव, स्वीकृतियों (प्रशासनिक या तकनीकी या वित्तीय) की प्रतियां, कार्य प्राक्कलन, कार्य प्रारंभ आदेश, मस्टर रोल जारी निर्गमन और प्राप्ति रजिस्टर, मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान संवितरण व आदेश, सामग्री के बिल और वाउचर (प्रत्येक कार्य के लिए), माप पुस्तिकाएं (प्रत्येक कार्य के लिए), परिसंपत्ति रजिस्टर, पूर्ववर्ती सामाजिक अंकेक्षण पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन, शिकायत रजिस्टर, तथा कोई भी अन्य दस्तावेज जो सामाजिक अंकेक्षण इकाई को सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक हों— वे निर्धारित प्रारूपों में समुचित रूप से संकलित किए जाएं; उक्त अभिलेखों की प्रतियों सहित इन्हें सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की निर्धारित तिथि से कम-से-कम पंद्रह दिन पूर्व सामाजिक अंकेक्षण इकाई को उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि सामाजिक अंकेक्षण का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित जानकारी उसी समय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी, और उसकी प्रतियां नाममात्र शुल्क पर उपलब्ध की जाएंगी। पारदर्शिता, सुगम उपलब्धता और सार्वजनिक जांच सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी अभिलेखों को निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से खोज योग्य, मशीन - पठनीय और डाउनलोड योग्य प्रारूप में सार्वजनिक डोमेन में भी रखा जाएगा।

(3) प्रत्येक जिला कार्यक्रम समन्वयक या उनकी ओर से कोई भी अधिकृत अधिकारी —

(क) यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण के संचालन के लिए सभी अभिलेख कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण इकाई को उपलब्ध कराए जाएं;

(ख) यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाए;

(ग) गबन की गई या अनुचित रूप से प्रयुक्त राशि की वसूली के लिए कदम उठाएंगे और इस प्रकार वसूल की गई राशि के लिए रसीदें या पावतियां जारी करेंगे;

(घ) राशि की वसूली करेंगे और केंद्र सरकार के हिस्से को वर्तमान सामान्य वित्तीय नियमों तथा इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार को जमा कराएगा; और

(ङ) राशि की वसूली करेंगे और राज्य सरकार के अंश को वर्तमान राज्य वित्तीय नियमों तथा इस संबंध में जारी लागू निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को जमा कराएगा ।

(च) यह सुनिश्चित करेंगे कि उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या उन लोगों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई (जिसमें आपराधिक और दीवानी कार्यवाही शुरू करना या सेवाओं की समाप्ति शामिल है) शुरू की जाए, जिन्होंने इस अधिनियम के तहत योजनाओं के लिए निर्धारित राशि का दुरुपयोग या गबन किया है।

(छ) कार्रवाई प्रतिवेदनों की लंबित स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(4) राज्य सरकार सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(5) राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करेगी और राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में कार्रवाई प्रतिवेदन को शामिल करेगी।

9. समय-सीमा के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई और प्रकटीकरण- (1) सामाजिक अंकेक्षण इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष, हस्ताक्षरित संयुक्त प्रतिवेदन और ग्राम सभा की चर्चाओं के कार्यवृत्त के साथ, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की बैठक की तिथि से **सात दिनों** के भीतर निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किए जाएं, और पोर्टल के माध्यम से उन पर्यवेक्षकों, पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों और कार्यान्वयन में शामिल उन कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएं जो बैठक में उपस्थित थे।

(2) बैठक में उपस्थित रहे पर्यवेक्षक, पंचायतों के निर्वाचित सदस्य और योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल कर्मचारी ऐसी अपलोडिंग की तिथि से **सात दिनों** की अवधि के भीतर उसमें किसी भी त्रुटि, चूक या अशुद्धियों को इंगित कर सकेंगे।

बशर्ते यह कि यदि उक्त अवधि के भीतर ऐसी कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती हैं, तो अपलोड की गई रिपोर्ट को अंतिम माना जाएगा और अपलोड की तिथि से **दस दिनों** की अवधि पूर्ण होने पर निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम अधिकारी को स्वचालित रूप से अग्रेषित कर दिया जाएगा।

(3) सामाजिक अंकेक्षण के अंतिम निष्कर्षों को सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की बैठक की तिथि से **इक्कीस दिनों** के भीतर आगे की कार्रवाई और कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

(4) कार्यक्रम अधिकारी आवश्यकतानुसार सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, और निष्कर्ष प्राप्त होने की तिथि से **तीस दिनों** के भीतर सामाजिक अंकेक्षण इकाई को कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

बशर्ते यह कि यदि कार्यक्रम अधिकारी तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर एटीआर प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो यह मामला निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल पर स्वतः जिला कार्यक्रम समन्वयक को अग्रेषित हो जाएगा, और जिला कार्यक्रम समन्वयक आगामी तीस दिनों की अवधि के भीतर कार्रवाई प्रतिवेदन एटीआर प्रस्तुत करेंगे।

(5) सामाजिक अंकेक्षण इकाई को प्राप्त कार्रवाई प्रतिवेदन, एटीआरकी प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर चर्चा के लिए अगली मध्यवर्ती-स्तरीय जन सुनवाई के समक्ष रखा जाएगा, और सामाजिक अंकेक्षण इकाई आगे की आवश्यक कार्रवाई करेगी।

(6) सामाजिक अंकेक्षण इकाई, मध्यवर्ती-स्तरीय जन सुनवाई में विधिवत विचार-विमर्श के बाद, यथास्थिति, कार्यक्रम अधिकारी या जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर किसी मामले का निस्तारण कर सकती है, और ऐसी स्थिति में जन सुनवाई की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर अपने निर्णय को अभिलिखित करेगी।

(7) सभी मामलों में, निष्कर्षों, अनुवर्ती कार्रवाई, कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रस्तुति, उच्च स्तर पर प्रेषण, यदि कोई हो, जन सुनवाई समीक्षा और मामला निस्तारण करने की संपूर्ण प्रक्रिया को सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की बैठक की तिथि से सात महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(8) सामाजिक अंकेक्षण के मामलों का एक निश्चित अनुपात अनिवार्य रूप से तथा यादृच्छिक आधार पर सामाजिक अंकेक्षण इकाई के खण्ड, जिला एवं राज्य स्तर के संसाधन व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण हेतु चयनित किया जाएगा।ऐसे निरीक्षण का तरीका एवं अनुपात केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, यथास्थिति, द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण इकाई, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किए गए सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता, सटीकता और सत्यनिष्ठा को सत्यापित करने के लिए नियमित रूप से परीक्षण अंकेक्षण और विशेष अंकेक्षण आयोजित करेगी।

(9) सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों की स्थिति और उस पर की गई कार्रवाई को निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा।

10. वसूली और जवाबदेही- (1) दुरुपयोग के रूप में चिह्नित की गई सभी राशियां सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की तिथि से पांच महीने की अवधि के भीतर वसूल की जाएंगी। राज्य सरकार वसूली प्रक्रिया को पूरा करना सुनिश्चित करने और ऐसी वसूलियों का डिजिटल रूप से मिलान और सत्यापन योग्य अभिलेख बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी।

(2) धोखाधड़ी, दुरुपयोग, या गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले व्यक्तियों या विक्रेताओं पर लागू कानूनों और नियमों के अनुसार आवश्यक सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

11. सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता — (1) एक सार्वजनिक डिजिटल डैशबोर्ड पर उपयोगकर्ताअनुकूल, खोज योग्य और डाउनलोड योग्य प्रारूप में निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, अर्थात्: —

(क) सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष और मामले;

(ख) सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की बैठकों का कार्यवृत्त;

(ग) यथास्थिति, कार्यक्रम अधिकारी या जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर);

(घ) प्रत्येक मामले के संबंध में की गई सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई का विवरण;

(ङ) दुरुपयोग की गई राशियों की वसूली की स्थिति, यदि कोई हो;

(च) शिकायतों, अपीलों और उनके निस्तारण की स्थिति; तथा

(छ) कोई अन्य जानकारी, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।

(2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी कि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सभी जानकारी निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल पर समयबद्ध और सटीक तरीके से अपलोड, अद्यतन और संधारित की जाए, और उक्त सूचनाओं तक जनता की निरंतर पहुंच सक्षम करने के लिए ऐसे प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित करेगी जो आवश्यक हों।

(3) सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण इकाई स्थानीय भाषा में सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करेगी। इसके अनुवादित संस्करणों को मूल प्रतिवेदनों के साथ निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा और इन्हें सार्वजनिक प्रकटीकरण, नागरिक सहभागिता और सार्वजनिक संवीक्षा के उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक माना जाएगा।

(4) समुदाय की जानकारी के लिए और सतत जन-निगरानी सुनिश्चितकरने के लिए, सामाजिक अंकेक्षण के सभी निष्कर्षों और उनसे संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन' को ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण बैठकों में चर्चा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) सामाजिक अंकेक्षण इकाई अपने द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का डिजिटल प्रकटीकरण सुनिश्चित करेगी, जिसमें अंकेक्षणों की स्थिति, कार्रवाई प्रतिवेदनों (एटीआर) की लंबित स्थिति और आरंभ की गई कार्रवाइयां शामिल हैं। सामाजिक अंकेक्षण इकाई निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल पर सामाजिक अंकेक्षण के संचालन, निष्कर्षों, अनुवर्ती कार्रवाइयों और

मामलों के निस्तारण संबंधितसमेकित त्रैमासिक और वार्षिक प्रतिवेदन भी तैयार करेगी तथा उन्हें नामित डिजिटल पोर्टल पर प्रकाशित करेगी।

(6) राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करेगी और राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक प्रतिवेदन में कार्रवाई प्रतिवेदन को शामिल करेगी। राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल के समक्ष उक्त प्रतिवेदन रखे जाने के बाद, उसे सार्वजनिक अभिगम एवं परीक्षण हेतु निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल पर सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित करेगी।

12. सामाजिक अंकेक्षण इकाई का वित्तपोषण- (1) सामाजिक अंकेक्षण इकाई की स्थापना और सामाजिक अंकेक्षण के संचालन पर होने वाला व्यय, समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार, अधिनियम की धारा 22 में दिए गए प्रावधानों के तहत और 'विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): विकसित भारत -जी राम जी - प्रशासनिक व्यय नियम, 2026' में निर्दिष्ट 'प्रशासनिक व्यय' के शीर्ष के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(2) क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, क्षेत्रीय सत्यापन, जन-सुनवाई, प्रतिवेदन तैयार करना और प्रकटीकरण सहित सामाजिक अंकेक्षण की गतिविधियों पर होने वाले व्यय का प्रावधान प्रशासनिक और क्षमता निर्माण लागत के अंश के रूप में किया जाएगा, जो कुल व्यय के अधिकतम एक प्रतिशत (1%) की सीमा के अध्यधीन होगा:

बशर्ते यह कि सामाजिक अंकेक्षण पर होने वाले व्यय सहित कुल प्रशासनिक व्यय, कुल व्यय की नौ प्रतिशत (9%) की समग्र अधिकतम सीमा के भीतर होगा।

[फा. सं. जे-11060/15/2026- आर. ई.–III]

रोहिणी रा भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2026

S.O. 4363(E).— Draft of rules proposed to be made by the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with clauses (g) and (n) of sub-section (2) of section 33, sub-section (2) of section 20 and clause (e) of section 24 and sub-section (1) of section 26 of the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025), on or after the date of coming into force of the Act, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which copies of this notification as published in Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed, within the stipulated period from the date of publication of this notification, to Ms. Deeksha Supyaal Bisht, Assistant Commissioner, Department of Rural Development, Ground Floor, Kartavya Bhawan–3, New Delhi – 110001, or may be sent through e-mail at suggestion-vbgramg@gov.in

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB- G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी) Audit of Schemes Rules, 2026.

(2) For the purposes of these rules, the audit of schemes shall include social audit.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act of 2005" means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005;

(b) "Act" means the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (विकसितभारत - जीरामजी) Act, 2025;

(c) **"**case**"** means any instance of irregularity, deviation, omission, violation, misappropriation, non-compliance, grievance, or deficiency identified through the social audit process, including those requiring corrective, punitive, or recovery-related action;

(d) "designated digital portal" means the official web-based platform or integrated digital system provided by the Central Government or the State Government, as the case may be, for the purposes of hosting, disclosing, managing, tracking, and monitoring social audit findings, Action Taken Reports, recoveries, escalations, public disclosures, and related records under these rules;

(e) "District Programme Coordinator" means an officer of the State Government designated as such officer under sub-section (1) of section 17 of the Act for the implementation of the Scheme in a district;

(f) "intermediate level" means a level between the village and district levels as specified under clause (c) of Article 243 to the Constitution of India;

(g) "Programme Officer" means an officer at the Block level appointed under sub-section (1) of section 18 of the Act;

(h) "State Council" means the State GraminRozgar Guarantee Council constituted under sub-section (1) of section 13 of the Act;

(i) "Social Audit Gram Sabha" means a special meeting of the Gram Sabha convened for the purpose of conducting social audit under these rules, including verification of records, public discussion of findings, hearing of testimonies, and review of Action Taken Reports;

(j) "Social Audit Unit" means the independent institutional mechanism identified or established by the State Government under the Act for facilitating, coordinating, and overseeing social audits, and includes its Governing Body, Director, officers, staff, and resource persons at the State, district, block, and village levels, namely State Resource Persons (SRPs), District Resource Persons (DRPs), Block Resource Persons (BRPs), and Village Resource Persons (VRPs);

(k) "Action Taken Report" or "ATR" means a written, digital, and verifiable report submitted by the Programme Officer or the District Programme Coordinator, as the case may be, detailing the corrective, punitive, recovery-related, or administrative actions taken or proposed to be taken on the findings of a social audit;

(l) "Observer" means the District Programme Coordinator or an officer of appropriate rank nominated by him for the purpose of attending the Social Audit Gram Sabha to ensure the smooth, fair, and transparent conduct of the proceedings.

3. **Audit of accounts.-** (1) The audit of the accounts of a scheme under the Act for each district, as well as all expenditure under the Scheme, shall, for each year, be carried out by the Director, Local Fund Audit, or equivalent authority or by Chartered Accountants, preferably empanelled with the Comptroller and Auditor General of India.

(2) The Director, Local Fund Audit, or equivalent authority, or the Chartered Accountant, as the case may be, shall submit accounts of the scheme together with the audit report thereon to the State Government.

(3) The accounts of the schemes of every State Government, as certified together with the audit report thereon shall be forwarded to the Comptroller and Auditor General of India and the Central Government by the State Government. The Central Government shall cause the audit report to be laid, as soon as may be after they are received, before each House of Parliament.

(4) The Comptroller and Auditor General of India, or any person appointed by him in this behalf, shall have the right to conduct audit of the accounts of schemes at such intervals as he may deem fit.

The scope and extent of such audit, including supplementary audit of accounts, compliance audit, performance audit, and information technology audit, shall be determined by the Comptroller and Auditor General of India.

4. Social audit to be part of audit of schemes.-(1) The State Government shall facilitate conduct of social audit of the works taken up under the Act in every Gram Panchayat at least once in six months in the manner prescribed under these rules.

(2) A summary of findings of such social audits conducted during a financial year shall be submitted by the State Government to the Comptroller and Auditor General of India.

5. Social audit facilitation.-(1) The State Government shall identify or establish, under the Act, an independent organisation (hereinafter referred to as the Social Audit Unit) to facilitate the conduct of social audit by Gram Sabhas.

Provided that any Social Audit Unit established under the Act of 2005 may be continued for the purposes of this Act.

Provided further that all such existing Social Audit Units shall, within such period as may be specified by the Central Government, transition to and fully comply with the institutional, procedural, digital, and reporting requirements prescribed under these rules, the Act, and any instructions issued by the Central Government thereunder.

(2) The Social Audit Unit shall be responsible for the following, namely: —

(a) build capacities of Gram Sabhas for conducting social audit; and towards this purpose, identify, train and deploy suitable resource persons at village, block, district and State level, drawing from primary stakeholders and other civil society organisations having knowledge and experience of working for the rights of the people. The minimum staffing norms for the Social Audit Unit, including education and experience qualifications, mode of selection, and tenure shall be within the overall ambit of Auditing Standards and Scheme guidelines.

(b) identification, training of local people as social auditors; and formation of trained social auditor teams for each Gram Panchayat with people from outside the Gram Panchayat to conduct social audit, provided that at least 25% of village social auditors are from SC/ST households. For services rendered by such people, each of them shall be paid an honorarium at a rate not less than the remuneration payable to the skilled labour under the provisions of the Act.

(c) prepare social audit reporting formats, resource material, guidelines and manuals for the social audit process;

(d) create awareness amongst the labourers about their rights and legal guarantees under the Act;

(e) facilitate verification of records with primary stakeholders and work sites;

(f) facilitate smooth conduct of social audit Gram Sabhas for reading out and finalising decisions after due discussions;

(g) host the social audit reports, including action taken reports, in the public domain.

(3) Governing Body of the Social Audit Unit. — Every Social Audit Unit shall be headed by a Governing Body, which shall be responsible for overseeing the functioning and performance of the Unit on a periodic basis and for providing strategic guidance, advice and direction to the Unit, as and when required.

(4) Composition of the Governing Body. —The Governing Body shall, at a minimum, consist of the following members, namely: —

(a) the Principal Accountant General (Audit) of the State shall be the Chairperson;

(b) the Principal Secretary, Department of Rural Development or Panchayati Raj;

(c) the Director, Social Audit Unit;

(d) five representatives from civil society organisations, academic or training institutions, having long-standing experience in issues relating to transparency, accountability, and people's participation, of whom at least two shall be women;

(e) such other special invitees from Departments undertaking social audits in their programmes, as may be considered necessary.

(5) Director of the Social Audit Unit – The selection, appointment, tenure, and terms and conditions of service of the Director of the Social Audit Unit shall be such as may be specified by the Central Government.

(6) Convener. —The Director, Social Audit Unit shall act as the Convener of the Governing Body.

(7) Safeguards for independence. — The Principal Secretary, Department of Rural Development or Panchayati Raj shall not chair the Governing Body, in order to ensure the independence of the Social Audit Unit from the implementing agencies.

6. Social audit pre-requisites.-(1) The Social Audit shall be a process independent of any process undertaken by the implementing agency of the scheme.

(2) The implementing agency shall at no time interfere with the conduct of the social audit.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the implementing agency of the Scheme shall provide the requisite information to the Programme Officer for making it available to the Social Audit Unit at least fifteen days prior to the date of commencement of the social audit.

(4) The resource persons deployed for facilitating social audit in a Panchayat shall not be residents of the same Panchayat.

7. **Process for Conducting Social Audit.** - (1) The Social Audit Unit shall, at the beginning of the year, frame an annual calendar to conduct at least one social audit in each Gram Panchayat every six months, and a copy of the calendar shall be sent to all the District Programme Coordinators for making necessary arrangements.

(2) Verification for Social Audit: For facilitating the conduct of social audit by the Gram Sabha, the resource persons deployed by the Social Audit Unit, along with primary stakeholders, shall undertake verification of—

(i) muster rolls, entries and payments made during the specified period, including verification with wage seekers whose names appear on the muster rolls;

(ii) the work site and assess the quantity with reference to records and also quality of work done;

(iii) the cash book, bank statements and other financial records to verify the correctness and reliability of financial reporting;

(iv) the invoices, bills, vouchers, or other related records used for procurement of materials to testify that such procurement was as per the estimate, as per the procedure laid down and was economical;

(v) any other payments made by the implementing agency from funds of the Scheme.

(3) Public Participation and Gram Sabha- The labourers and the village community shall be informed about the Gram Sabha conducting social audit by the resource persons as well as the Programme Officer, to ensure full participation.

(4) To conduct the social audit process, a Gram Sabha shall be convened to discuss the findings of the verification exercise and also to review the compliance with transparency and accountability, fulfilment of the guarantees of labourers and proper utilization of funds.

(5) All elected members of Panchayats and staff involved in implementing the schemes under the Act shall be present at the Gram Sabha and respond to queries.

(6) The Gram Sabha shall provide a platform to all villagers to seek and obtain further information and responses from all involved in the implementation. It will also provide a platform to any person who has any contribution to make and relevant information to present.

(7) The District Programme Coordinator shall attend the Gram Sabha meeting as an observer or nominate an official of appropriate level to do so, for ensuring the smooth and transparent conduct of the Gram Sabha.

(8) The Social Audit Unit shall prepare the social audit reports in the local language and ensure that the same are displayed on the notice board of the Gram Panchayat. The findings of the social audit and the corresponding Action Taken Reports shall be digitally displayed and made available on the designated portal in a searchable, machine-readable, and downloadable format.

(9) All Action Taken Reports (ATRs) submitted pursuant to social audit findings shall be placed before a public hearing at the intermediate-level, to be convened at least once every month, for review of their adequacy, completeness, and satisfactory nature.

(10) The Action Taken Report (ATR) relating to the findings of the previous social audit, along with the remarks, if any, recorded during the intermediate-level public hearing, shall be read out and discussed at the beginning of the meeting of each Social Audit Gram Sabha.

(11) The process of conducting Social Audit shall be facilitated through the designated digital portal.

8. Obligation of certain persons in relation to social audit.- (1) The Programme Officer shall ensure that all the required information and records of all implementing agencies such as, GraminRozgar Guarantee Card register, Employment register, work Register, Gram Sabha Resolution, Copies of the sanctions (Administrative or Technical or Financial), Work Estimate, Work Commencement Order, Muster-roll issue and receipt register, muster Rolls, wage Payment Acquittance& order, Materials – Bills and vouchers (for each work), Measurement Books (for each work), Asset Register, Action Taken Report on previous social audits, grievance or complaints register, any other documents that the Social Audit Unit requires to conduct the social audit process are properly collated in the requisite formats; and provided, along with photocopies, to the Social Audit Unit for facilitating conduct of social audit at least fifteen days in advance of the scheduled date of meeting of the Gram Sabha conducting social audit.

(2) The information referred to in sub-rule (1) shall be made publicly available at the same time, and photocopies thereof shall be provided at a nominal cost. All such records shall also be placed in the public domain through the designated portal in a searchable, machine-readable, and downloadable format to ensure transparency, accessibility, and public scrutiny.

(3) Every District Programme Coordinator or any official on his behalf, shall, —

(a) ensure that all records for the conduct of social audit are furnished to the Social Audit Unit by implementing agencies through the Programme Officer;

(b) ensure that corrective action is taken on the social audit report;

(c) take steps to recover the amount embezzled or improperly utilised and issue receipts or acknowledgements for amounts so recovered;

(d) recover the amount and remit the Central Government's share to the Central Government in accordance with the extant General Financial Rules and the relevant instructions issued in this regard by the Central Government; and

(e) recover the amount and remit the State Government's share to the State Government in accordance with the extant State Financial Rules and the applicable instructions issued in this regard.

(f) ensure that appropriate action (including initiating criminal and civil proceedings or termination of services) is initiated against the individual or class of individuals or persons who misutilised or embezzled the amount meant for the schemes under the Act.

(g) review the pendency of ATR regularly and take necessary action.

(4) The State Government shall be responsible to take follow-up action on the findings of the social audit.

(5) The State GraminRozgar Guarantee Council shall monitor the action taken by the State Government and incorporate the Action Taken Report in the annual report to be laid before the State Legislature by the State Government.

9. Time-bound Corrective Action and Disclosure.— (1) The Social Audit Unit shall ensure that the findings of the social audit, along with the signed joint report and the minutes of the Gram Sabha discussions, are uploaded on the designated digital portal within **seven days** from the date of the Social Audit Gram Sabha meeting, and are made available through the portal to the Observer, elected members of the Panchayats, and staff involved in implementation who were present at the meeting.

(2) The Observer, elected members of the Panchayats, and staff involved in the implementation of the schemes who were present at the meeting shall have a period of **seven days** from the date of such upload to point out any errors, omissions, or inaccuracies therein.

Provided that where no such observations are received within the said period, the uploaded report shall be deemed to be final and shall be **automatically forwarded** to the Programme Officer through the designated digital portal at the end of **ten days** from the date of upload.

(3) The finalised findings of the social audit shall be forwarded by the Social Audit Unit to the Programme Officer within twenty-one days from the date of the Social Audit Gram Sabha meeting for further action and for submission of the Action Taken Report.

(4) The Programme Officer shall take necessary corrective and punitive action, as applicable, and shall submit the Action Taken Report to the Social Audit Unit within thirty days from the date of receipt of the findings.

Provided that where the Programme Officer fails to submit the ATR within the said period of thirty days, the matter shall stand automatically escalated to the District Programme Coordinator on the designated digital portal, and the District Programme Coordinator shall submit the ATR within a further period of thirty days.

(5) The Action Taken Reports so submitted to the Social Audit Unit shall be placed for discussion before the next intermediate-level public hearing within thirty days from the date of receipt of the ATR, and the Social Audit Unit shall take further necessary action.

(6) The Social Audit Unit may close a case upon being satisfied with the Action Taken Report (ATR) submitted by the Programme Officer or the District Programme Coordinator, as the case may be, after due discussion of the same in the intermediate-level public hearing, and shall record its decision within fifteen days from the date of such public hearing.

(7) In all cases, the entire process of findings, follow-up action, submission of the Action Taken Report (ATR), escalation, if any, public hearing review, and closure shall be completed within a period of seven months from the date of the Social Audit Gram Sabha meeting.

(8) A fixed proportion of the social audit cases shall be mandatorily and randomly selected for inspection by the Block, District, and State-level resource persons of the Social Audit Unit, in such manner and proportion as may be specified by the Central Government or the State Government, as the case may be. The Social Audit Unit shall regularly conduct test audits and special audits to verify the quality, accuracy, and integrity of social audits conducted under the provisions of the Act.

(9) The status of the social audit findings and the action taken thereon shall be made available in the public domain through the designated digital portal.

10. Recovery and Accountability. - (1) All amounts identified as misappropriated shall be recovered within a period of five months from the date of the Social Audit Gram Sabha. The State Government shall be responsible for ensuring completion of the recovery process and for maintaining digitally reconciled and verifiable records of such recoveries.

(2) Individuals or vendors found responsible for fraud, misappropriation, or serious financial irregularities shall be subject to necessary corrective and punitive action in accordance with applicable laws and rules.

11. Public Disclosure and Transparency. — (1) A public-facing digital dashboard shall display, in a user-friendly, searchable, and downloadable format, the following information, namely: —

(a) social audit findings and cases;

(b) minutes of the Social Audit Gram Sabha meetings;

(c) Action Taken Reports (ATRs) submitted by the Programme Officer or the District Programme Coordinator, as the case may be;

(d) details of corrective and punitive action taken in respect of each case;

(e) recovery status of misappropriated amounts, if any;

(f) status of grievances, appeals, and their disposal; and

(g) any other information as may be determined by the Central Government.

(2) The State Government shall be responsible for ensuring that all information referred to in sub-rule (1) is uploaded, updated, and maintained on the designated digital portal in a timely and accurate manner, and for taking such administrative and technical measures as may be necessary to enable continuous public access thereto.

(3) The Social Audit Unit shall prepare the social audit report in the local language to ensure accessibility. The translated versions thereof shall be published on the designated digital portal alongside the original reports and shall be treated as authentic for the purposes of public disclosure, citizen engagement, and public scrutiny.

(4) All social audit findings and the corresponding Action Taken Reports (ATRs) shall be made available for discussion in weekly public disclosure meetings at the Gram Panchayat, intermediate, and District level, for the information of the community and to enable continuous public oversight.

(5) The Social Audit Unit shall ensure digital disclosure of all activities undertaken by it, including the status of audits, pendency of Action Taken Reports (ATRs), and actions initiated. The Social Audit Unit shall also prepare and publish consolidated quarterly and annual reports on the conduct of social audits, findings, follow-up actions, and case closures on the designated digital portal.

(6) The State Gramin Rozgar Guarantee Council shall monitor the action taken by the State Government and incorporate the Action Taken Report in the annual report to be laid before the State Legislature by the State Government. The State Government shall, after the laying of such report before the State Legislature, publish the same in the public domain on the designated digital portal for public access and scrutiny.

12. Funding of Social Audit Unit. - (1) The expenditure towards the establishment of the Social Audit Unit and the conduct of social audits shall be borne by the Central Government, in accordance with the instructions issued from time to time, under the head of Administrative Expenses as provided in Section 22 of the Act and as specified in the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) - Administrative Expenses Rules, 2026

(2) Expenditure on social audit activities, including capacity-building, training, field verification, public hearings, reporting, and disclosure, shall be provided for as part of administrative and capacity-building costs, subject to a ceiling not exceeding one per cent (1%) of the total expenditure:

Provided that the administrative expenditure, including the expenditure towards social audit, shall be within the overall ceiling of nine per cent (9%) of the total expenditure.

[F. No. J-11060/15/2026- RE-III]

ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA